भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1562

(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट शासन के मानक

1562. श्री तारिक अनवरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में विभिन्न राज्यों, विशेषकर बिहार में पंजीकृत कंपनियों के कारपोरेट शासन के मानकों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किए हैं या आंकड़े एकत्र किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों को लागू करने में राज्य विशिष्ट चुनौतियों, यथा बिहार में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) कार्यालयों में कार्यभार या संसाधनों की कमी, की पहचान की है और यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार विशेषकर निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार करने में सुगमता के लिए सभी राज्यों में कारपोरेट कानूनों का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोई समन्वय या क्षमता निर्माण कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में राज्य-विशेष से संबंधित किसी भी प्रकार की चुनौती की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, बिहार स्थित कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्य संचालन में भी कोई बाधा नहीं है।

(ग): केंद्र सरकार द्वारा अनुलग्नक के अनुसार ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) को सुगम बनाने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं, जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राख्देशिक निदेशक(कों) के कार्यालय तथा कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के समाधान हेतु उनके साथ समन्वय करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे सूचना के आदान-प्रदान तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए नियमित अंतराल पर आयोजित क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद **(**आरइआईसी**)** की बैठकों में विभिन्न नियामकों एवं राज्य प्राधिकरणों के साथ भी सहभागिता करते हैं।

****

अनुलग्नक

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1562 के भाग (ग) के उत्तर में।

(i) कंपनी और एलएलपी अधिनियमों के तहत 63 अपराधों का गैर-अपराधीकरण। कॉरपोरेट्स को राहत प्रदान करते हुए, गैर-अपराधीकरण के उद्देश्यों में से एक न्यायिक अदालतों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और अभियोजन के मामलों को न्यायनिर्णयन की ओर स्थानांतरित करना, अनुपालनीय बोझ को और कम करना भी रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 446ख, छोटी कंपनियों के लिए काफी कम दंड का प्रावधान करती है।

(ii) 54 से अधिक प्ररूपों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) में परिवर्तित करना, जिसके लिए पहले प्रादेशिक कार्यालयों के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।

(iii) कंपनी के निगमन के समय तुरंत व्यवसाय शुरू करने के लिए नाम आरक्षण, निगमन, पैन का आवंटन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी नंबर, बैंक खाता खोलना आदि जैसी एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एजाइल प्रो-एस नामक एक लिंक किए गए प्ररूपों के साथ ई-प्ररूप एसपीआईसीई+ पेश किया जा रहा है। इसी तरह, एक ही आवेदन में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) पेश किया गया था।

(iv) 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी रूप से, लघु कंपनी के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ा दिया गया है। चुकता पूंजी की सीमा को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा कारोबार की सीमा को 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अधिक संख्या में कंपनियाँ लघु कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत आ जाती हैं, जिन पर बड़ी कंपनियों की तुलना में कम अनुपालन आवश्यकताएँ लागू होती हैं।

(v) निगमन प्रक्रिया में एकरूपता प्रदान करने के लिए निगमन के लिए एक केंद्रीकृत कंपनी पंजीयक (सीआरसी) की स्थापना।

(vi) एसटीपी के तहत फाइल ई-प्ररूपों की केंद्रीकृत संवीक्षा के लिए एक केंद्रीय संवीक्षा केंद्र (सीएससी) की स्थापना।

(vii) विनिदष्ट गैर-एसटीपी ई-प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना।

(viii) कंपनी अधिनियम से संबंधित अपराधों के न्यायनिर्णयन के लिए एक ई-न्यायनिर्णयन पोर्टल स्थापित करना।

(ix) 15.00 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी के साथ कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क।

(x) सरकार ने कंपनियों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 45 दिनों से अधिक के बकाया भुगतान की सूचना देने, एमएसएमई को शीघ्र भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई प्ररूप-1 प्रस्तुत किया है।

(xi) इसके अतिरिक्त, नियामक बोझ को कम करने तथा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को सुगम बनाने के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों एवं स्टार्ट-अप्स को कुछ सामान्य अनुपालन छूट प्रदान की गई हैं। दोनों श्रेणियों के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नकदी प्रवाह विवरण को सम्मिलित करने की आवश्यकता को वैकल्पिक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में किसी कंपनी में कंपनी सचिव नियुक्त नहीं है, वहाँ वार्षिक रिटर्न पर कंपनी के किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल की बैठकों के संबंध में भी लचीलापन प्रदान किया गया है, जिसके तहत लघु कंपनियों एवं स्टार्ट-अप्स को सामान्यतः प्रतिवर्ष चार निदेशक मंडल बैठकों की आवश्यकता के स्थान पर एक वर्ष में दो निदेशक मंडल बैठकें आयोजित करने की अनुमति है, अर्थात् वर्ष के प्रत्येक छमाही में एक बैठक, बशर्ते कि ऐसी बैठकों के बीच निर्धारित न्यूनतम अंतराल का पालन किया जाए।

*****